

मिसल नं० 1/55/22

तारीख रजू 09.11.22

बनाम

कमला

घनश्याम वगैरा

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

09.11.2022

वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वकील वादी श्री सोहनपाल सिंह एड० ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जयें सम्मन रजि० डाक से तलब होकर। पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादीगण दिनांक 29.11.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

29.11.22

उपखण्ड पेश /P.O. साहब
को पेश हो
दिनांक 6.12.22

6.12.22

उपखण्ड पेश /P.O. साहब
को पेश हो
दिनांक 15.1.23

10/1/23

उपखण्ड पेश /P.O. साहब
को पेश हो
दिनांक 09/1/23

07/2/23

उपस्थित।
साबिक आदेश दिनांक 9.11.22
की पालना में पत्रावली वास्ते
दिनांक 21.2.23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

21/3/23

आज यह पत्रावली पेश हुई। आज कोर सत्र में
कार्य स्थगित किया। पत्रावली दिनांक 28/3/23
को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर क
अहकाम
जारी हुक

03.7.25

पत्रावली पेश हुई। तभील वकी उपस्थित।
पत्रावली दीर्घावधि से प्रतिवादीगण की तलबी
में विचाराधीन है। तभील हेतु पुनः तलबना
पेश करने बाबत तभील वकी को पर्याप्त
अवसर दिये जा चुके हैं। परन्तु तभील वकी द्वारा
प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पुनः पेश तलबना
पेश नहीं किया गया है। अतः पत्रावली सिविल
प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 05
के अन्तर्गत में खारिज की जाती है। पत्रावली
के तलब सूत्रों को नकार से कम दो खाफ
तभील पत्रावली दाखिल करार हो।

हस्ताक्षर अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०